29.12.25 पत्रावली पेश हुई। अभि0अधि0 उपस्थित। गैरसायल एवं वकील गैरसायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल (अप्रार्थी) मोहनलाल पुत्र मूलचन्द मीणा निवासी मलारना चौड हाल मीट मण्डी के पास किरायेदार ठेका देशी शराब के उपर थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना मानटाउन सवाई माधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीबद्व होना बताया है–

क.स.	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	फैसला दिनांक	फैसला
1	41/15	18.02.15	13 आरपीजीओ	12/15	20/02/15	सजा
2	82/15	19.03.15	13 आरपीजीओ	27/15	26/03/15	सजा

उक्त पंजीबद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणो मे दोषी मानते हुए 100–100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। गैरसायल आदतन जुंआ खेलने का आदि है तथा रूपयों पैसो का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुंआ/सट्टेबाजी करता हुआ कई बार पकड़ा गया है। उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है। उक्त गैरसायल को बार–बार सट्टे की खाईवाली करते एवं जुंआ खेलते हुए गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्व चालान पेश न्यायालय करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे एक ओर जहां वह स्वयं को सट्टा किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है वहीं अपने लाभ के लिए युवा पीढी को इस अपराध में धकेल रहा है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रति, न्यायालय निर्णय प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल द्वारा जरिये वकील एवं असालतन उपस्थित होकर आरोप पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए निम्नानुसार जबाव पेश किया गया:–

- यह कि प्रार्थी के विरूद्व थाना मानटाउन सवाई माधोपुर में तथ्यों के विपरीत इस्तगासा प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
- यह कि प्रार्थी के विरूद्व इस्तगासा में जुंआ अधि. से संबंधित अपराध दर्शाया है जो गुंडा एक्ट की परिभाषा में नहीं आते है।
- यह कि प्रार्थी के विरूद्व एक साल में दो अपराध होना सिद्ध नहीं है इसलिए गुण्डा एक्ट के तहत नहीं है इसलिए प्रार्थी का परिवाद खारिज होने योग्य है।
- यह कि प्रार्थी गरीब एवं बाल बच्चेदार व्यक्ति है, मजदूरी करके पालन पोषण करता चला आ रहा है, यदि प्रार्थी को जिला निष्कासित कर दिया तो प्रार्थी के परिवार का पालन पोषण करना दुभर हो जायेगा आर्थिक संकट पैदा होने से प्रार्थी के बालबच्चे भूखे मरेंगे एवं प्रार्थी बहार जिले होने से मजदूरी करने में असमर्थ हो जायेगा इसलिए परिवाद खारिज होने योग्य है।

जवाब के अन्त में गैरसायल द्वारा प्रार्थी के विरूद्व गुण्डा एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया गया।

गैरसायल के द्वारा पेश किये गये जबाव के उपरान्त गैरसायल को बार–बार तलब करने पर भी गैरसायल के हाजिर नहीं होने पर गैरसायल को जरिये सायल जमानती वारन्ट भिजवाया गया जो थानाधिकारी [illegible] वापिस प्राप्त हुआ कि "उक्त B/W मय जमानती वारंट की तामील हेतु [illegible] हाल मीट मण्डी के पास बजरिया के मकान मालिक मोहन[illegible] कोई व्यक्ति नहीं रहा था किराये से ऐसी सूरत [illegible] मालूमात करने पर भी मोहनलाल S/O मूलचन्द मी[illegible] मालूम नहीं चला मलारना के राशन डीलर धर्मराज मीना ने बताया कि इस नाम क[illegible]ई व्यक्ति मलारना चौड में रहता CLG सदस्य परशुराम मीना ने भी बताया कि मोहनलाल S/O मूलचन्द मीणा नाम का कोई व्यक्ति मलारना चौड में नहीं रहता ऐसी सूरत में तामील कराने में मजबूरी रही अदम तामील रिपोर्ट सेवामें सादर पेश है।"

गैरसायल का जमानती देवकीनन्दन शर्मा पुत्र चिरंजीलाल शर्मा निवासी श्याम वाटिका, हाउसिंग बोर्ड, सवाई माधोपुर को पुलिस थाना मानटाउन द्वारा पेश किया गया। जमानती

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर गैरसायल को नहीं पहचानने तथा बिना किसी पहचान के जमानत देने का कथन करते हुए दी गई जमानत निरस्त करने का निवेदन किया गया।

उक्त प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण है तथा जमानती वारन्ट अदम तामील प्राप्त होने तथा गैरसायल की निकट भविष्य में तामिल होने संभावना भी नजर नहीं आ रही है। ऐसी सूरत में प्रकरण का निस्तारण करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में गैरसायल व वकील गैरसायल की अनुपस्थिति में गैरसायल के जवाब को आधार मानकर अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया कि गैरसायल को मुकदमा नं0 41/15 व 82/15 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के अर्न्तगत माननीय न्यायालय के छ माह की समयावधि में दो बार दोष सिंद्ध कर अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा गैर सायल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिये नगर पालिका क्षेत्र सवाई माधोपुर में रहने वाले नागरिकों को सट्टा की लगाईवाली करने पर पाबन्द करने लग गया और स्वयं खाईवाली करने लग गया। जो लोक व्यवस्था एवं लोक क्षेत्र के लिए घातक है। अतः गैरसायल को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, सबूतो, दस्तावेजो एवं गैरसायल द्वारा पूर्व में पेश किये गये जबाव का अवलोकन करने तथा अभि.अधि. की बहस सुनने व मनन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना मानटाउन सवाई माधोपुर में दो प्रकरण पंजीबद्ध किये गये जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अधिनियम की धारा 9 सपठित राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का नियम 24 में यह प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 9 के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में अधिनियम की धारा 3 के अधीन आदेश को विखण्डित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित बातों में से किसी पर भी विचार कर सकते है–

(1) कि सम्बन्धित व्यक्ति ने अपने आचरण में सुधार दिखलाया है।

(2) कि यह विश्वास करने का आधार है कि निष्कासन या प्रतिबन्धों का मूल आदेश आवश्यक नहीं था।

(3) कि इसको विखण्डित करना अन्यथा जनहित में होगा।

गैरसायल का अपराध अत्यन्त साधारण श्रेणी का है तथा इससे समाज को गंभीर हानि पहुंचने का अंदेशा प्रतीत नहीं होता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध कठोर कार्यवाही समाज के व्यापक हित में प्रतीत नहीं होती है। गैरसायल के खिलाफ वर्ष 2015 के बाद से आदिनांक तक कोई अन्य प्रकरण दर्ज नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल ने अपने आचरण में सुधार दिखलाया है एवं उसकी गतिविधियों एवं कार्य से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को हानि होना दर्शित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का नियम 24 के आधार पर धारा 3 के अधीन आदेश विखण्डित किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner